

**Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017**

**Section 13 : Recovery of tax**

- (1) Where any amount of tax, interest or penalty is payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the proper officer of central tax, during the course of recovery of said tax arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrear of central tax and credit the amount so recovered to the account of the Government under the appropriate head of Union territory tax.
  - (2) Where the amount recovered under sub-section (1) is less than the amount due to the Government under this Act and the Central Goods and Services Tax Act, the amount to be credited to the account of the Government shall be in proportion to the amount due as Union territory tax and central tax.
-

**धारा 13 : कर की वसूली**

- (1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम सरकार को संदेय है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, उक्त व्यक्ति से उक्त बकाया कर की वसूली के दौरान, रकम की वसूली इस प्रकार कर सकेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया था और इस प्रकार वसूल की गई रकम को संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित शीर्ष के अधीन सरकार के खाते में जमा कर सकेगा।
  - (2) जहां उपधारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम, इस अधिनियम तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां सरकार के खाते में जमा की जाने वाली रकम संघ राज्यक्षेत्र कर और केन्द्रीय कर के रूप में शोध्य रकम के अनुपात में होगी।
-